

१५

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविर-माध्य/पीएसपी-सी/अ-२/८०८८७/केमारियो/२०-२१ दिनांक : २९/०१/२०


विज्ञाप्ति

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित और सरकारी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.इ. नहीं दिल्ली से सत्र 2020-21 में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र विज्ञाप्तुसार आवंटित किये जाते हैं :-

क्र०स०	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि	संबंधित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञाप्ति जारी करना	31 जनवरी, 2020	निदेशालय
2.	संस्था द्वारा आर्नेलाइन आवेदन कर सूचना लॉक करना(आवेदन शुल्क सहित)	31 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2020	संबंधित संस्था
3.	आवेदन पत्रों की 1. हार्डकापी जमा करना 2. ऑनलाइन जांच, 3. सत्यापन दलों का गठन, 4. संस्थाओं का भौतिक सत्यापन 5. अपलोड करना	31 जनवरी से 05 मार्च, 2020	संबंधित संस्था एवं संबंधित जिलियां कार्यालय
4.	निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अनमेयित करना।	05 मार्च से 20 मार्च 2020	निदेशालय
5.	1. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की ऐनओसी हेतु अनुमोदन जारी करना। 2. संस्थाओं को ऐनओसी के योग्य पात्र जाने की स्थिति में, ऐनओसी शुल्क, शिपिलन शुल्क, चिलम्ब शुल्क की राशि घालान द्वारा जमा करवाकर दस्तावेज प्राप्त करना।	21 मार्च से 31 मार्च 2020	राज्य सरकार एवं निदेशालय

संस्था निर्धारित दिनांक पर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात निर्धारित शुल्क के व्यापारिक विलम्ब शुल्क के लिए 1,80000/- रुपये दिये जाने की शर्त पर आवेदन हेतु क्लूट 10 मार्च, 2020 तक प्रदान की जाती है।

संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जाकर करने के लिए आवेदन पत्र, शाप्रथ पत्र एवं संबंधित निदेशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in> प्राप्त की जा सकती है।


 (हेमांत गुश्या)
 आई.एस.स.
 निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
 राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिक्षा-मा/पीएसी-सी/अ-२/८०५८७/केमाशिवो/२०-२१

दिनांक : -२१/३/२०

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)

विषय :- गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रभाग पत्र जारी किये जाने वाले।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सेख है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु सत्र २०-२१ में अनापत्ति प्रभाग पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव आमत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप व शास्त्र पत्र का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है। संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में निरीक्षण दल का गठन कर, निरीक्षण दल से एक सप्ताह में निरीक्षण प्रतिवेदन सम्पर्क की ओर प्राप्त करें। निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध भूमि एवं भवन की पर्याप्तता तथा विद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट टिप्पणी करें। निरीक्षण दल की टिप्पणी की समीक्षा कर विद्यालय का आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को निम्नानुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना है :-

(1) निर्धारित लिखियों इस प्रकार से है :-

क्र०सं०	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि	संबन्धित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञाप्ति जारी करना	३१ जनवरी, २०२०	निदेशालय
2.	संस्था द्वारा आनंदार्थक आवेदन कर सूचना लॉक करना(आवेदन शुल्क सहित)	३१ जनवरी २०२० से १५ फरवरी २०२०	संबोधित संस्था
3.	आवेदन पत्रों की 6. हार्डकॉपी जमा करना 7. ऑनलाईन जांच, 8. सत्याघन दलों का गठन, 9. संस्थाओं का भौतिक सत्याघन 10. अपलोड करना	३१ जनवरी से ०५ मार्च, २०२०	संबोधित संस्था एवं संबोधित विद्यालय
4.	निदेशालय द्वारा जांच उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रेष्ट करना।	०६ मार्च से २० मार्च २०२०	निदेशालय
5.	3. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की एनओसी हेतु अनुमोदन जारी करना। 4. संस्थाओं को एनओसी के दोष्य घाये जाने की हितति में, एनओसी शुल्क, शिपिलन शुल्क, विलब्द शुल्क की राशि चालान द्वारा जमा कराकर सहायेज प्राप्त करना।	२१ मार्च से ३१ मार्च २०२०	राज्य सम्पादक एवं निदेशालय

संस्था निर्धारित दिनांक पर आवेदन ग्रहणत वाली कल्पने पर संस्था द्वारा यज्ञ उत्कर्ष के प्रार्थना पत्र देने के लिए अधिकारी शुल्क को अतिरिक्त वित्तम् शुल्क के रूप में 1,000/- रुपये दिये जाने की शर्त पर आवेदन हेतु छूट 10 मार्च, 2020 तक प्रदान की जाती है।

(2) प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार देय है।

1. आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा—

- (अ)— उच्च प्राध्यायिक विद्यालय हेतु— 20,000 रुपये
- (ब)—माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु— 20,000 रुपये

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क निम्नानुसार देय होगा—

- (अ)— उच्च प्राध्यायिक विद्यालय हेतु— 60,000 रुपये
- (ब)—माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु— 50,000 रुपये
- कक्षा 06, 07 एवं 08 में उच्च प्राध्यायिक विद्यालय स्तर के न्यूनतम सत्र के अनुमति में शिथिलन घाउने पर अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार देय होगा—
- एक सत्र के शिथिलन पर 25000/-रुपये
- दो सत्र के शिथिलन पर 35000/-रुपये
- तीन सत्र के शिथिलन पर 45000/-रुपये

सत्र 2020-21 हेतु निर्देशानुसार समर्पण प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पादित की जानी है।

संस्थाओं को एनओसी के योग्य पाये जाने की श्रिति में, एनओसी शुल्क, शिथिलन शुल्क, वित्तम् शुल्क की राशि घालान द्वारा ज्ञान करवाकर दस्तावेज प्राप्त करता है।


(3) आवेदन के लिए वे ही गैर संस्कारी शिक्षण संस्थाएँ पात्र होगी जिनके पास उप्राप्ति स्तर की मान्यता या उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

(4) विद्यालय में राजस्थान फीस विनियमन अधिकार्यम् 2017 की पालना में फीस निर्धारण हेतु कमेटी का गठन निश्चान्तसार कर लिया गया है।

(5) विद्यालय द्वारा आरोटी¹⁰⁰ नियमों की पूर्णता पालना की जानी अनिवार्य है।

(6) भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्राक पर्याप्त (1)शिक्षा-6/भूमि रूपान्तरण/2015 जयपुर दिनांक 04.01.17 के अनुसार कार्यवाही कर।

(8) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशासा की जानी आवश्यक है, सर्वांगीन (conditional) अनुशासा किये जाने पर संबोधित जिला शिक्षा अधिकारी के विलक्षण कार्यवाही की जाएगी।


(डिप्टी गुप्ता) २१/०१
आईएएस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :— निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- (1) उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप्त-1), विभाग साजस्थान सरकार, जयपुर
- (2) सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर
- (3) समर्पण उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

100/- रुपये के बॉल अपूर्वाधिकारी स्टाफ थेपर पर भोटेरी झवना प्रश्नम श्रेष्ठी अधिकारी स्टाफ से प्रभागित शपथ पत्र का ग्रामपत्रः—

— शपथ पत्र —

मनके पुत्र/पुत्री श्री जाति उम्र वर्ष संस्थायी
निवासी.....

(पूर्ण घास लिखें) शपथ पत्रक बयान करता है कि—

अ— विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1909 व नियम 1923 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों की पालना की जायेगी स्थानीय/राज्य/राज्यीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।

ब— विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीआईएससीई से सम्बद्धता निभाने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।

स— संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अकारण पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निश्चिक प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अकारण पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत गढ़ दो वर्षों में छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा इनके विरुद्ध निभानुसार राशि राज्य सरकार से आदायित जी गया।

क्र. सं.	सत्र	कक्षा की कम समता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	अनुकूलता प्रवेशित छात्रों की संख्या	संविधित विद्यालय, द्वारा सञ्चालित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र मान्यता देने वाली राशि	कुल पुनर्भवण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

द— विद्यालय परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।

य— विद्यालय में पूर्ण कमता व गुणकृति का अग्रिम समान वैत्र लगा हुआ है तथा इसके संचालन नेतृ प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।

र— विद्यालय परिसर के ऊपर से हार्ड टेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।

ल— विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में ऐप्प निर्धारित मापदण्ड 1 : 10 भीटर में बना हुआ है।

म— विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अंधवा भागीदारी नहीं निभाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1909 व नियम 1923 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापति प्रशासन-पत्र प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरुद्ध मान्यता से कोई वाद दावर नहीं किया जायेगा।

श— भूमि खपान्तरण के क्रम में शासन के प्रत्याक्ष एप्प (एप्प) शिक्षा-5/भूमि रुपानारप/2018 जयमुक्त दिनांक 04.01.17 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोगसार्थ संविधित संस्था अधिकारी/निकाय द्वारा उपनारित है। भूमि के खपान्तरण/विवरित करण नहीं होने की दशा में एनओसी के संबंध में विचार नहीं किया जाये।

ष— कार्यरत समस्त स्टाफ नियोजित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।

स— नियोजित स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वैत्तन-भत्तो/मानदेय हत्यादि का भुगतान जरिये बैक खस्ता किया जाता है।

यह कि पैसा 01 से 08 तक के विवृतों में वर्णित भेरी सूचना मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख आवश्यक पूर्णतः सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है, न ही घटाया/बढ़ाया है।

इसकर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथगृहिता
(संचित संस्था)

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने काला निरीक्षण प्रतिवेदन

1. नेतृजी विद्यालय का नाम
 2. संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक एवं विद्यालय डाइरेक्टर कोड संख्या
 3. विद्यालय का वर्तमान स्तर - उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक
 4. गत शिक्षा सत्र में प्रधानीकृत संख्या का विवरण-

क्र.सं.	कक्षा अनुसार विवरण अंकित करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपस्थिति		भर्टीइं के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा	
कुल					

5. अध्यापन का माध्यम
 6. राज्य स्तरीय शुल्क नियांस्थ समिति द्वारा कक्षावाल नियांस्थ फीस के नंबर में जारी आदेश क्रमांक विवरण का विवरण-
 7. विद्यालय भवन परिसर - संलग्न ब्लॉक के अनुसार अमरे उपलब्ध हैं। उपलब्ध कमरे नियांस्थ नापांड की पूर्ति करते हैं।/पूर्ति नहीं करते हैं। (कक्षायार विवरण संलग्न करें।)
 8. विद्यालय में कुल शौचालय उपलब्ध है, जिनमें छात्राओं हेतु पृथक् न है।
 9. कार्यरत समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण-

क्र.सं	नाम कर्मचारी मय पट	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता	व्रेतनमान/देतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नक्ष्य/बैंक खाते के साथ सं

10. विद्यालय भवन के स्थानित्य की स्थिति— स्थायी/लीज़/किराये यत्न
 11. उपलब्ध खेल मैदान क्षेत्रफल वर्गमीटर एवं स्थानित्य (स्थायी/किराये)

2. मूलवर्ष का परीक्षा परिणाम-

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उल्लंघ संख्या
कक्षा - 6		
कक्षा - 10		
कक्षा - 12		

12. विद्यालय भवन को भूमि का प्रकार कृषि/विद्यालय हेतु रुपान्तरित
 13. उपरांक दरों पट्टी/इयुल डेस्क/कर्नीचर -
 कक्षा 1 से 5—
 कक्षा 6 से 8—
 कक्षा 9 से 12 पृथक्—पृथक्—
 छात्र संख्या अनुसार उपलब्धता है। यह टिप्पणी कक्षा-कक्षों के भौतिक संस्थापन के बाद अंके जानी है।
 14. नियोजित कर्मियों के भविष्य नियुक्ति राशि(लागू होने की दशा में) प्रतिवेदन संख्या
 में जमा कराए जाते हैं, निरीक्षण दल द्वारा अग्रिमेण भर लिया गया है।
 15. पुराने भवन कोष्ठिकर्तन करने का कार्य-
 16. आवेदित विद्यालय भवन के किसी परिणाम में ऊन्हे कहा गया है।
 17. संचयन नहीं है।
 18. विद्यालय भवन परिसर में अथवा आस-पास मोबाइल टाक्सी बीमून हाई-टाक्सी उपलब्ध है।
 19. विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र चालू हालत में है एवं इस हेतु संलग्न प्राप्ति उपलब्ध है।
 20. तथा इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कार्मियों को यूर्ज जानकारी है। एवं उन्हें लिया गया है।

21. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक होने की दृष्टि में शिक्षा का स्तर टिप्पणी-
22. विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रादृश्यक्रम/पंचांग अंगीकृत है- हों / नहीं
23. विद्यालय में स्थान ऐजेंसी द्वारा उधित व्यवस्था है- हों/नहीं एवं शौचालय हेतु पानी की समुच्छेद व्यवस्था है- हों / नहीं
24. संस्था द्वारा चाहा गया संकाय/अतिरिक्त संकाय:-
25. संस्था द्वारा चाहे गये विषय/अतिरिक्त विषय:-
26. भवन परिवर्तन की स्थिति में नवीन भवन का पता-
27. संस्था द्वारा चाहा गया अतिरिक्त माध्यम:-
28. संस्था में पूर्व में संचालित माध्यम:-

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा बाबत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है/ निम्नान्ते कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है-

हस्ताक्षर
निरीक्षण दल
शौक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी

हस्ताक्षर
संबंधित पं.स. के नोडल
का प्रधानाचार्य/प्र.आ.

हस्ताक्षर
संस्था प्रतिमिति

उक्त सदस्यों की समान राय नहीं होने पर ज़िला शिक्षा अधिकारी नवेद के बिन्दुओं का अध्यात्म पर स्वयं भौतिक सत्यापन/अभिलेख जौच के आधार पर टिप्पणी निम्नानुसार अकित करेगा-

मतभेद विषय	दस्ताविक टिप्पणी
उक्त के अनुसार आवेदित के क्रम में अभिशंख की जाती है/प्रस्तुत आवेदन पत्र निम्नान्त योग्य :-	

हस्ताक्षर ज़िला शिक्षा अधिकारी

**केन्द्रीय शास्त्राधिक विभाग द्वारा प्राप्त जारी उपलब्धियों के अनुसार सम्बन्धित प्राप्ति करने हेतु अनुमति प्राप्ति
पत्र आवश्यक चाही एकल वाला पौरष विन्दु अधिवेशन**

क्र. सं.	उप नियमानुसार जांच विन्दु	नियोजित नामदण्ड	आवेदित संख्या द्वारा प्राप्ति उपलब्धि के अनुसार पर अनुप्राप्ति (हाँ/नहीं)	पहलीवार्ष संलग्नक संख्या	प्रियोग विवरण
01.	भूमि	कम से कम 1.5 एकड़ (6070 वर्ग मीटर) 15 लाख से अधिक आवादी याते वालों हेतु कम से कम 01 एकड़			
02.	भवन स्वामित्व का प्रकार— I. स्वयं का II. किसाथे का				सहम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी भवन का स्वूच्छित मय सूचका प्राप्ति पत्र
03.	कक्ष कक्ष— I. कक्षाओं की संख्या अनुसार II. प्रयोगशाला एवं उपकरण III. कम्प्यूटर लैब मय इंटरनेट	8 X 6 मीटर परि कक्ष 8 X 6 मीटर(कक्षा 10 के लिये न्यूनतम दो तथा कक्षा 12 हेतु ऐकल्पिक प्रायोगिक विषयानुसार) कम से कम 10 कम्प्यूटर होता आवश्यक			
04.	अन्य लोधान्युज सुविधा— I. रैम्प II. शौचालय (पृथक—पृथक) III. कर्नीघर IV. मुस्तकबलय V. वाचनालय	पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त (14 X 8 मीटर)			

	कार्य VI. खेलकूट एवं उपकरण VII. अनुदानसंगीय दाता				
06.	अन्य ओपचारिकाएँ— । साईटेन्स लाईन रहित विद्यालय परिसर ॥. अग्निशमन यंत्र				
08.	शिक्षा का अधिकार आधिनियम की पालनाएँ 1. 26 प्रतिशत नियुक्त अधेश ॥फीस निर्धारण हेतु समिति का गठन एवं फीस निर्धारण की रिक्षति				

नोट— विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के आविरक्त अन्य प्रयोजनार्थ किये जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त के अधार पर निरीक्षण दल द्वारा सम्बद्धता प्रसामन करने हेतु अनुशासा की जाती है / शिम्बाकोस क्षणों से नहीं की जाती है—

1.
2.
3.

निरीक्षण दल के हस्ताक्षर(पद, मौका व दिनांक सहित)

1. संयोजक

2. सदस्य

3. सदस्य*

CBSE/CISCE से संबद्धता हेतु अन्वयित प्रश्नों पर वार्ता प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र

सेवा में

• गिरुा शिळा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा प्रबन्धन संस्थान

आवेदन का प्रकार—संख्यित को टिक (✓) करें

- (I) क्रमान्वयिता/उच्च माध्यम स्तर
 (II) अतिरिक्त—प्रियक्ष/पूर्ण (III) माध्यम स्थान
 (IV) भवन (V) नाम परिवर्तन स्थीरण (VI) १३४
CISCE से संबद्धता

महोदय,

उपर विनिति विषय को कम में विद्यालय से संबंधित सूचनाओं का विवरण निम्नलिखित से है:-

1. विद्यालय का नाम व पता :-

(नाम/भवन परिवर्तन हेतु आवेदन की स्थिति में संशोधित नाम/नये भवन के पते का विवरण लिखें) :-

2. ई-गेल आईडी: दूरभाष: - बैसिक
 नोटाइल:
3. विभाग द्वारा पूर्ण में जारी मान्यता/क्रमान्वयन आदेश क्रमांक: दिनांक:
4. आधारपत्र का अध्ययन:- हिन्दी/अंग्रेजी/अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ हेतु आवेदन की स्थिति में संशोधित माध्यम:
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमान्वयन हेतु आवेदन की स्थिति में खोजे जाने वाला संकाय: एवं अध्ययन विषय: 1. 2. 3.
6. अतिरिक्त संकाय हेतु आवेदन ही स्थिति में विद्यालय में पूर्ण से संबंधित संकाय (1)
 (2) आवेदन किये गये अतिरिक्त संकाय एवं विवर्यां द्वारा हिंकरण (1)
 (2)
7. अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन की स्थिति में खोजे जाने वाला नवीन विषय:

8. सचालनकर्ता संरक्षा का नाम तथा पूर्ण विवरण:-

1. नाम:
 2. लाईशन:
 3. दूरभाष:
 4. ई-गेल आईडी:
 5. अध्याल का नाम:
 6. संविध का नाम:

विद्यालय को निकट स्थानित राजकीय माध्यम/द्वारा दूरभाष से दूरी: किमी.0.0 एवं नाम:

5/

A.....

10. संस्था के घंटीयन का विवरण:-

प्रेजीप्रग संख्या..... वर्ष..... विनाशक.....

11. संस्था संविधान को अनुसार संस्था संचालन का छद्मेश्य:-

कार्यकारिणी में कुल संविधान संख्या:-

कार्यकारिणी की आमतौर परिस्थिति:-

गत 02 दिनांक(1) तिथि और आधिकारिक बैठक की दिनांक(2).

12. संस्था कार्यकारिणी हाशमुक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिये गये सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आधिकारिक बैठक का विवरण :-

बैठक दिनांक	उपस्थिति संख्या की संख्या	संस्थापन पारिता प्रस्ताव का विवरण

13. गत शैक्षिक सत्र में कुल नार्थकिल विद्यार्थियों का कक्षानुग्रह संख्यात्मक विवरण:-

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक संख्या	नियमित संख्या	उत्तरीय संख्या	नियमित वार्षिक विद्यार्थी का कुल नियुक्ति	पुनर्जनन की गई राशि

14. गत शैक्षिक सत्र में "नेशुल एवं अनिवार्य वाल शिक्षा का जारीना अधिनियम- 2009" के प्रावधानानुसार प्रयोगित छात्र संख्या:-

15. राज्य स्तरीय श्रीस नियार्थियों के संविहार परिसर नियर्षण हेतु जारी आवेदन क्रमांक (प्रथम एवं कक्षानुसार नियार्थियों की संख्या का विवरण) :-

क्र.सं.	कक्षा (प्रारंभिक कक्षा लिखें)	नियार्थियों की संख्या

16. यार्थरत स्टॉक द्वारा रोकी जानी वाली व्यापता का विवरण:-

क्र. सं.	वर्ष क्रमांक	स्टॉक का नियमित विवरण	उत्तरीय संख्या	वार्षिक विवरण	कुल रुपये

17. संबद्धता:- साध्यभिक शिक्षा द्वारा राष्ट्रपथ, अजमेर से संबद्धता क्रमांक..... दिनांक

18. संबद्धता वर्ष :-

19. अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की स्थिति में संबद्धता लिये जाने वाले योड़ का (CBSE/CISCE) :-

20. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या:-

21. विद्यालय भवन का स्थानिक विवरण :- स्वयं का स्थानिक/लीणडील/विराये पर

22. आवेदन शुल्क का संबंधित जैसा चालान सं..... दिनांक राशि ..

उक्त के कम में वाचित व्यवसायी संसर्ग भूमि के अनुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कृपया शैक्षिक सब..... ऐ विद्यालय का फोननंबर/अधिकारी/विद्यार्थी/संकाय/भवन/परिवर्तन/आण्विक आवश्यक संस्थान/CBSE/CISCE वा संबद्धता हेतु अनापस्त प्रमाण पत्र दिया आवश्यक पत्र नियमित विद्यालय के अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए कि वे विद्यालय का अम करता है। विभाग द्वारा आवश्यक विवरण दिये गए विविध कार्यक्रम में जारी कराये गये वाली राशि जित्तियां (वारों) क्रमांकमें जारी दिनांक द्वारा दिया गया करारे की सहमति भी करता है।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर संस्था सचिव
मय मुहर

संलग्न दस्तावेज़ भूमि:-

1. संस्था के विविध विवरणों का विवरण एवं विवास की प्रति।
2. विद्यालय परिवर्तन विवरणों का विवरण-कार्यक्रम सामग्री कार्यक्रम करते हुए का प्रिष्ठ।
3. विद्यालय भवन की विवरण भवन का विवरण-ज्ञानीय भवन सुरक्षा प्रमाण की प्रति।
4. राज्य स्तरीय विवरण के बाहरी द्वारा फोटो विवरण द्वारा जारी आदेश का प्रति।
5. विद्यालय विवरण की विवरण भूमि की विवरण की प्रति।
6. नियोजित समय का विवरण विवरण मय शैक्षिक/प्रशिक्षिक योग्यता एवं नियोजन की विवरण।
7. निर्धारित प्रारूप में विवरण पत्र।
8. आरक्षित बोर्ड एवं विविध विवास अधिकारी एवं संस्था को संशुद्ध नाम से निधारण की एक अंडाएं भी प्रति।
9. संस्था की यत्त 03 वर्षों की सी.ए द्वारा प्रदत्त ऑफिट रिपोर्ट।
10. विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता आदेश भी प्रति।
11. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवश्यक के ग्रन्थ विवरण की प्रति।
12. विद्यालय भवन में ज्ञानार्थी द्वारा एवं सुझाउने का प्रमाण पत्र।
13. अग्रिमत यत्त/सूची द्वारा का प्रमाण पत्र।
14. अन्य वाचित/आवश्यक दस्तावेज़।